

# कार्यालय नगर पालिका परिषद्, पीथमपुर जिला धार (म.प्र.)

Fax No-07292-253236, Email-cmo.pithampur.mpurban@gmail.com

क्रमांक 1892/न.पा./2026

पीथमपुर, दिनांक 18/03/2026

प्रति

ई-नगर पालिका प्रभारी  
नेट लिंक सॉफ्टवेयर  
(आई.टी. सेल) भोपाल (म.प्र.)  
द्वारा :- संयुक्त संचालक  
नगरीय प्रशासन एवं विकास  
इन्दौर संभाग इन्दौर

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु सम्पत्तिकर निर्धारण हेतु भाड़ा मूल्य की दरों में वृद्धि होने बाबद् ।  
सन्दर्भ :- परिषद् प्रस्ताव संकल्प क्र. 731 दिनांक 21/11/2025।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में लेख है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु परिषद् द्वारा सम्पत्तिकर निर्धारण हेतु भाड़ा मूल्य की प्रचलित दरों में वृद्धि का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	मद का नाम	वर्ष 2025-26 तक प्रचलित दर	परिषद् प्रस्ताव संकल्प क्र. दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 वृद्धि उपरांत निर्धारित दर
01	सम्पत्तिकर	आवासीय सम्पत्तियों पर वार्षिक भाड़ा मूल्य पर 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा व्यवसायिक एवं औद्योगिक सम्पत्तियों पर वार्षिक भाड़ा मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से ।	संकल्प क्र. 731 दिनांक 21/11/2025	आवासीय सम्पत्तियों पर वार्षिक भाड़ा मूल्य पर 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा व्यवसायिक एवं औद्योगिक सम्पत्तियों पर वार्षिक भाड़ा मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से ।

क्र.	गुणवत्ता के आधार पर भवनों/भूमियों का वर्गीकरण	ज़ोन क्रमांक	उपयोगिता के आधार पर दरें			उपयोगिता के आधार पर दरें		
			व्यवसायिक/ औद्योगिक आवासीय भवन	आवासीय भवन तथा भूमि	औद्योगिक इकाई की रिक्त भूमि जो औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा आवंटित की गई है।	व्यवसायिक/ औद्योगिक आवासीय भवन	आवासीय भवन तथा भूमि	औद्योगिक इकाई की रिक्त भूमि जो औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा आवंटित की गई है।
			वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक प्रचलित दरें	वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक प्रचलित दरें	वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक प्रचलित दरें	वर्ष 2026-27 से प्रस्तावित दरें	वर्ष 2026-27 से प्रस्तावित दरें	वर्ष 2026-27 से प्रस्तावित दरें
1	आर.सी.सी./आर.बी.सी. पत्थर की छत युक्त पक्के मकान	1	16.50	13.20	-	17.66	14.12	-
		2	11	6.60	-	11.77	7	-
2	सीमेंट की चददरे व कवेलू की छत युक्त पक्के भवन	1	13.2	9.90	-	14.12	10.59	-
		2	8.80	4.40	-	9.42	4.71	-
3	अन्य अर्द्ध पक्के व कच्चे भवन जो खण्ड 1 एवं 2 में न हो	1	8.80	6.60	-	9.42	7	-
		2	6.60	2.20	-	7	2.35	-
4	रिक्त भूखण्ड/प्लाट/भूमियाँ	1	6.60	5.50	1.10	7	5.89	1.18
		2	2.20	1.10	-	2.35	1.18	-

1. वित्तीय वर्ष 2025-2026 तथा उससे पूर्व वर्षों के बकाया सम्पत्तिकर, समेकित कर, न.वि.उ., शिक्षा उपकर पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष सरचार्ज की राशी ई-नगर पालिका पोर्टल पर आटोमेटिक अपलोड होने हेतु दर्ज करवाये।
2. वित्तीय वर्ष 2026-2027 का सम्पत्ति कर आदि 30 सितम्बर 2025 के पूर्व भुगतान करने पर चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के केवल सम्पत्तिकर की राशी पर 6.25 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। साथ ही म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 127/- (ए) के प्रावधानों अनुसार संकल्प का किसी भी समय प्रतिसंहरण कर सकेगी।
3. वित्तीय वर्ष 2026-2027 में विवरणी फार्म शुल्क राशी रुपये 2/- भी पोर्टल पर अपलोड करवाये।
4. ओद्योगिक ईकाई की रिक्त भूमि पर रखरखाव हेतु 10 प्रतिशत छुट हटाई जावे, 10 प्रतिशत रखरखाव की छुट केवल निर्मित भाग के क्षेत्रफल पर ही अपलोड की जावे।

h

मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, पीथमपुर  
जिला धार (म.प्र.)

पीथमपुर, दिनांक :- 18/03/26

1893  
पृ.क्र. / न.पा. / राजस्व शाखा / 26  
प्रतिलिपि :-

01 आयुक्त महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

h

मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, पीथमपुर  
जिला धार (म.प्र.)